234

सं0–404 /XXVIII–5–2012–37/2011

प्रेषक,

सुनीलश्री पांथरी
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 30 मार्च, 2012

**विषय– वित्तीय वर्ष 2011–12 मे मशीनें सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–5प/1/25/2011–12/1818 दिनांक 19.01.2012 एवं पत्र सं0–5प/1/25/2011–12/9346 दिनांक 28.03.2012 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय चिकित्सालयों उपकरणों के क्रय हेतु संलग्न विवरणानुसार अनुदान सं0–12 के अन्तर्गत आयोजनागत मद में ₹542.06 लाख एवं अनुदान सं0–30 के अन्तर्गत ₹160.32 लाख इस प्रकार कुल ₹702.38 लाख (₹सात करोड़ दो लाख अड़तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुये व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृति दी जा रही है। उक्त का आहरण/व्यय यथावश्यकता मितव्ययिता को ध्यान में रखकर नियमानुसार, मासिक व्यय की सारणी बनाते हुये किया जायेगा।
2. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्यं स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हों, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. उपकरणों के क्रय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पांच भाग–1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

..............2

4. यह उल्लेखनीय है कि व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2012 तक कर लिया जायेगा, यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष होती है तो उसे शासन को समर्पित किया जायेगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय शासनादेश सं0-209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च 2011 में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुये किया जायेगा एवं व्यय विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
7. उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के संलग्नक में अंकित लेखाशीर्षकों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-474(P)/XXVII(3)/ 2011-12 दिनांक 30.03.2012 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(सुनीलश्री पाथरी)
उप सचिव

सं0-६०५ (1)/XXVIII-5-2012-37/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-3/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

शासनादेश स0–404/ XXVIII–5–2012–37/2011 दिनांक 30 मार्च, 2012 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

| क्रम सं0 | लेखाशीर्षक | | आवंटित धनराशि |
|---|---|---|---|
| | अनुदान सं0–12 | | |
| 1 | 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – आयोजनागत | |
| | 01 | शहरी स्वास्थ्य सेवायें–पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति | |
| | 110 | अस्पताल और औषधालय | |
| | 03 | एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय | |
| | 26 | मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र | 542.06 |
| | | **योग अनुदान –12** | **542.06** |
| | अनुदान सं0–30 | | |
| 2 | 2210 | चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – आयोजनागत | |
| | 01 | शहरी स्वास्थ्य सेवायें– पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति | |
| | 110 | अस्पताल तथा औषधालय | |
| | 03 | एलोपैथिक एकीकृत चिकि0 और औषधालय | |
| | 26 | मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र | 160.32 |
| | | **योग–अनुदान –30** | **160.32** |
| | | **वृहद योग 12 व 30** | **702.38** |

**( ₹ सात करोड़ दो लाख अड़तीस हजार मात्र)**

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव